



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1477 वर्ष 2026

सोनू चौहान

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : आनंद कुमार सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. प्रत्यर्थी सं० 4 अर्थात् शुभावती देवी के पक्ष में प्रत्यर्थी सं० 3 अर्थात् तहसीलदार (न्यायेक), तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2025 के विरुद्ध, 08-12-2025 को याची द्वारा प्रत्यर्थी सं० 2 अर्थात् उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर के समक्ष अभ्यावेदन के रूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। चूँकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः रिट याचिका प्रस्तुत है।
2. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार सिंह के वाद धारक अधिवक्ता श्री आर्यन सिंह, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. अभिलेख के परिशीलन से, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-09-2025 के विरुद्ध, प्रत्यर्थी सं० 2 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर के समक्ष अपील दाखिल करने का कानूनी वैकल्पिक उपचार याची को प्राप्त है जैसा उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उपबंधित है।
4. इस बात के दृष्टिगत, रिट याचिका को कानूनी वैकल्पिक उपचार के उपलब्धता के आधार पर खारिज किया जाता है।

जनवरी, 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"